POLITICAL SCIENCE Dept
BA-II (Hons), Paper III

Dr. Husna Afra
Asst Professor
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur
Samastipur

संविधान का दर्शन

संविधान एक ऐसे दस्तावेजों का समूह है जिसमें यह निर्धारित होता है कि राज्य का स्वरूप क्या होगा, किन सिद्धांतों के आधार पर राज्य कार्य करेगा। संविधान के दर्शन से तात्पर्य भारतीय शासन व्यवस्था के उन आधार तत्वों से है जिसका वर्णन संविधान में किया गया है। इसके तहत न्याय, समता, अधिकार बंधुत्व, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आदि आते हैं।

भारतीय संविधान के दर्शन को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं –

① संविधान का स्रोत जनता –

भारतीय संविधान का स्रोत जनता है। भारतीय शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित है। भारतीय जनता ने संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया है। 'हम भारत के लोग...' का अभिप्राय यही है कि संविधान सभा ने भारत की जनता की ओर से ही संविधान बनाया और स्वीकृत किया है।

② सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न –

संविधान के दर्शन का महत्वपूर्ण आधार तत्व यह है कि भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न

Scanned with CamScanner

राज्य बनाया गया है। भारत के आन्तरिक तथा वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। भारत के ऊपर न तो किसी आंतरिक शक्ति का प्रतिबंध है और न किसी बाहरी शक्ति का।

(3) लोकतन्त्रात्मक -

भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया है। भारत एक ऐसा लोकतंत्र होगा जिसमें शासन का संचालन जनता द्वारा होगा। भारत के सभी कमजोर, दुर्बल, अल्पसंख्यक वर्गों को सुरक्षा प्राप्त होगी।

(4) गणराज्य -

संविधान में भारत को गणराज्य घोषित किया गया है। गणराज्य में राष्ट्र का अध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होता है। भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च शक्ति सार्वभौम वयस्क मताधिकार से सम्पन्न जनता में निहित है।

(5) न्याय -

भारतीय संविधान सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक न्याय की स्थापना की गई है। जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। राज्य दुर्बल वर्गों का शोषण रोकेगा। उत्पादन का न्यायोचित वितरण होगा।

Dr. Khushma Arya
Asst. Professor

Scanned with CamScanner